

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

दिनांक : 10/01/2023

क्रमांक : वाद/2022/ 67
प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भीखाराम पुत्र जुगताराम वगैरा 2
जाति जाट, निवासी बांकनाडी,
बायतु पनजी तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. जालाराम पुत्र भगवानाराम वगैरा 09,
जाति जाट, निवासी बांकनाडी सोहड़ा,
बायतु पनजी तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 346/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - बांकनाडी, पटवार मण्डल - बायतु पनजी, तहसील - बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 698/611, 724/619, 729/720, 742/628 रकबा कमशः 13.0168, 0.1133, 1.4562, 3.0095 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित-होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/ 68 + 72

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी, को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भीखाराम पुत्र जुगताराम वगैरा 2
4. विप्रार्थी श्री जालाराम पुत्र भगवानाराम वगैरा 09
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(मनोज)
दिनांक : 10/01/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर